

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

..... स्टेनो/स्वा/आयु

--: आदेश :-

दिनांक

भोपाल, दिनांक - ०१ / ०२ / २०१०

क्रमांक-एफ-१-४/२०१०/सत्रह/मेडि-१ :: राज्य शासन एतद् द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सीय अमले में कमी एवं सेवानिवृत्त हो रहे चिकित्सकों के अनुभव की उपयोगिता को देखते हुये सेवानिवृत्त चिकित्सकों की सेवाएं निम्न शर्तों के अधीन मानसेवी आधार पर ली जावेगी :-

1. सेवानिवृत्त चिकित्सक पूर्णतः मानसेवी होंगे। उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय/ पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
2. मानसेवी चिकित्सको द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की समस्त आवश्यक जाँचे निःशुल्क की जावेगी एवं ऐसे रोगियों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क औषधियों की प्रदायगी की जायेगी।
3. मानसेवी चिकित्सको द्वारा देखे गये शासकीय कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। इन मानसेवी आधार पर संलग्न चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन पर सिविल सर्जन/ चिकित्सालय प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त सामान्य प्रक्रिया अनुसार इस पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति मान्य होगी।
4. मानसेवी चिकित्सको के लिये विशेष ओ.पी.डी. अथवा ओ.टी. दिवस निर्धारित नहीं होंगे एवं चिकित्सालय की सामान्य/ नियमित सेवा प्रदायगी में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को आवेदन प्रस्तुत करने पर उपरोक्त शर्तों के अधीन उन्हें मानसेवी चिकित्सक घोषित किये जावेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.रफ़ीक खान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.....२/-

संवालय स्वास्थ्य प्रकृति लिपि
द.स. जोषा
111 MC
443

एफ-1-4/2010/सत्रह/मेडि-1 भोपाल, दिनांक- 09/02/2010

- प्रतिलिपि- 1. विशेष सहायक मान0 मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर मान0 मंत्रीजी को अवगत कराने हेतु अग्रेषित।
2. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ।

4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

489
क. स्टैनो/स्वा./जायुक्त
दिनांक 15/2/10

(एम.रफीक खान)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

JDK
7
2
11/02/10

// दिलीप भानु //

DS (W)

16/2/10

C-6

16/2/10

क. 83 / स्टैनो/स.स. (वि.प्र.शा.)
दिनांक 16-2-10